



Neutral Citation No - 2026:AHC:15952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19534/2025

संजय कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सिद्धार्थ खरे

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे को सुना, जिनकी सहायता श्री हिमांशु सिंह द्वारा (एओआर नं. ए/एच0277/2019) की गई जो रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे के होल्डिंग ब्रीफ हैं और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना ।

2. रिट याचिकाकर्ता का वाद यह है कि उन्हें वर्ष 2003 में बाल विकास सेवा एवं पुश्ताहार विभाग में कनिष्ठ क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था और वर्ष 2014 में वरिष्ठ सहायक और आगे हेड असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालाँकि, उनके स्वयं के अनुरोध पर, 15.06.2025 को रिट याचिकाकर्ता को मऊ से गाजीपुर स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया। इसके बाद फिर से दिनांक 15.09.2025 के आदेश के आधार पर बिना किसी अनुरोध के, रिट याचिकाकर्ता को गाजीपुर से एटा स्थानांतरित कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता ने कभी भी कोई सहमति नहीं दी या एटा में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया। उक्त तर्कों को प्रमाणित करने के लिए पैरा-15 की ओर ध्यान दिलाया गया है।

3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पहली बार में किया जाना है।

5. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और 30.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

6. जब तक अभ्यावेदन का निपटान नहीं हो जाता, तब तक रिट याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

22 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)